न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :-हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

ज संख्या:-57/2019 (223 आर.टी.एक्ट)
ी.एम.एस .संख्या-2019/00117

उनवान

. गोपाल पुत्र गोविन्द सहाय जाति ब्राह्मण निवासी मोरखा
लालबिहारी पुत्र गोविन्द सहाय जाति ब्राह्मण निवासी मोरखा
...ी बेवा करीम जाति मुसलमान तेली निवासी मोरखा
...ान पुत्र करीम जाति मुसलमान तेली निवासी मोरखा
...ीन पुत्र करीम जाति मुसलमान तेली निवासी मोरखा

....अपीलांट/वादीगण।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर करौली।
तहसीलदार टोडाभीम।
...न्द्र पुत्र नाथसिंह जाति राजपूत निवासी ऊंचागांव तहसील करौली।
...नसिंह पुत्र नाथसिंह जाति राजपूत निवासी ऊंचागांव तहसील करौली।

..रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण।

उपस्थित:-

1. श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री सुनील कुमार जिंदल अधिवक्ता रेस्पो0 03 व 04।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

– : निर्णय : –

दिनांक: 13.02.2023

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड टोडाभीम जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 141/2017 बउनवान गोपाल वगैहर बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ... पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:31 IST
Reason: SelfAttested

...ठासीन अधिकारी
...ई माधोपुर

Scanned with CamScanner

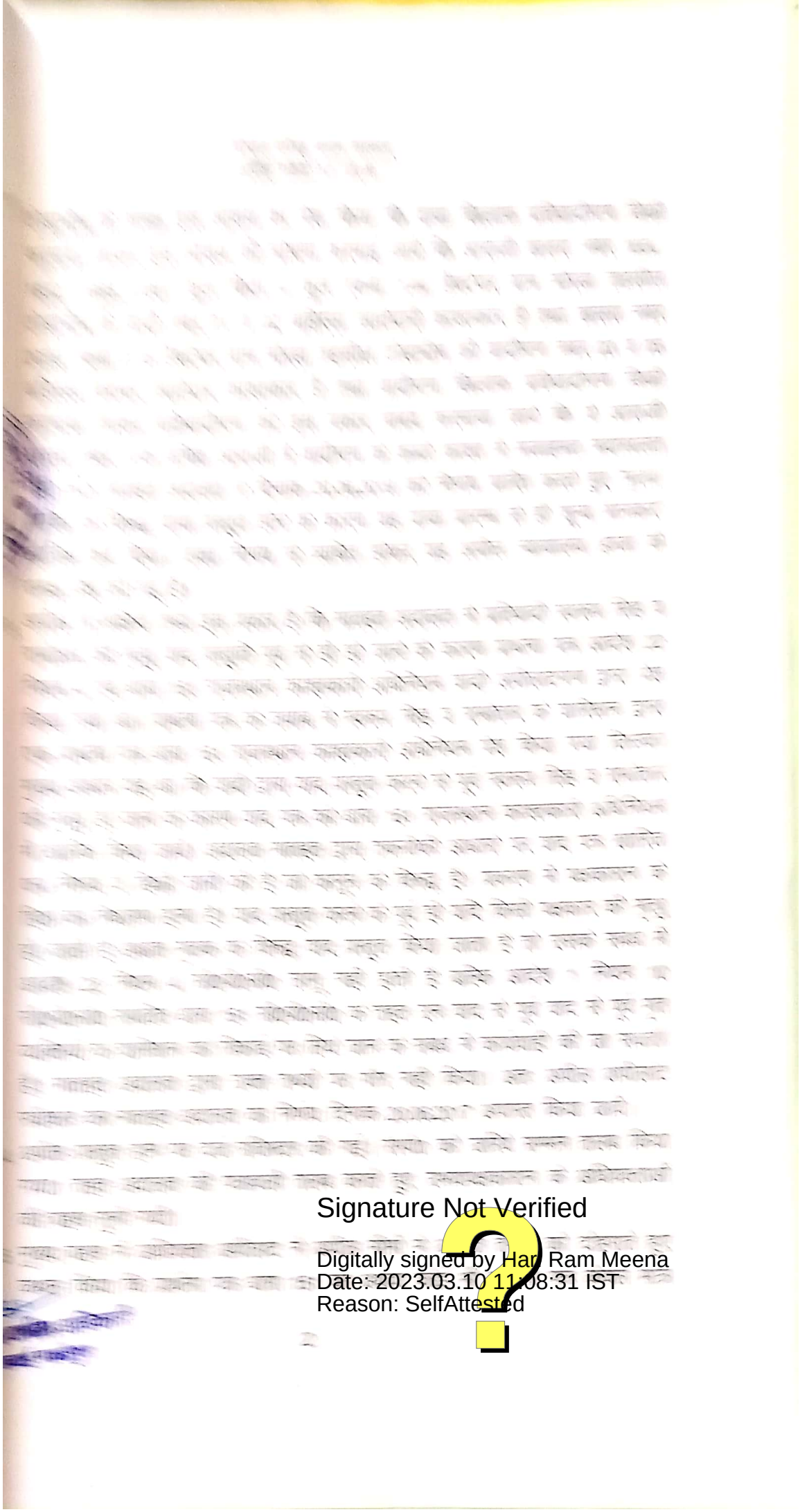

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद के पक्षकार ही प्रस्तुत कर सकते है। अन्य कोई परस्वाधित प्रस्तुत नहीं कर सकता है। रामोतार सिंह एवं स्वरूप सिंह के वारिसान को मातहत अदालत में पक्षकार के रूप में जब बनाया ही नही अथवा रिकार्ड पर ही नही लिया तो उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कि जिसको उन्हे प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था। मातहत अदालत ने प्रतिवादीगण स्वरूप सिंह एवं रामोतार सिंह के वाद प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही स्वर्गवास हो जाने के आधार पर वादीगण के दावे का धारा 151 सी०पी०सी० के तहत विधि एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्यों के विपरीत जाकर वादीगण के वाद को खारिज किया है। अतः अपील अपीलार्थ स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 20.06.17 को खारिज किया जावे। अपील के समर्थन में अधिवक्ता द्वारा दृष्टांत 2013 1 आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) 308, 2012 0 सुप्रीम(राज.) 941, 1963 0 आर.एल.डब्ल्यू. (राज) 313,1963 0 सुप्रीम(राज.)58 पेश किए।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो० ने कथन किया कि मातहत अदालत का निर्णय पूर्णतया विधिक है अतः अपील पेश करने का कोई ठोस औचित्य नही है अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

7. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

8. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अदालत मातहत द्वारा केवल प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 151 जा० दी० के आधार पर आदेश 22–नियम–04 जा० दी० के आधार पर वाद पत्र खारिज किया गया है।

आदेश 22 नियम 04 सिविल प्रक्रिया संहिता से प्रावधान निम्नानुसार है:–

"कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया––(1) जहां दो या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी के या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरूद्ध बचा नही रहता है या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहां उस निमित किए गए आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा।"

9. उक्त कानूनी प्रावधान प्रतिवादी पक्षकार की वाद के दौरान मृत्यु होने पर लागू होता है। परन्तु यहां पक्षकार रेस्पो० 03 वाद व संस्थित करने से पूर्व ही फौत हो चुका था। अदालत मातहत को यह देखना चाहिए था कि वाद ... प्रतिवादियों के विरूद्ध चलाया जा सकता है और मूल प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना चाहिए था। (1963 0 ...) नजीर प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:31 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित था तो मृत व्यक्ति के अलावा अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व दावा लाने का अधिकार बचा रहता है (2013 आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) 308) और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि यदि मृत व्यक्ति के विरूद्व सादभाविक भूल से वाद पेश किया जाता है और यथाशीघ्र इसकी जानकारी होने के तत्पश्चात् शीघ्रता से विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने की कार्यवाही करता है तो उसकी सद्भाविक त्रुटि को क्षम्य किया जाना चाहिए। अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि माननीय न्यायालय ए0डी0जे0 करौली के दीवानी वाद संख्या 31/2017 निर्णय दिनांक 30.08.17 में मृतक रामस्वरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 03 था और निर्देशों की पालना में यह वाद अदालत मातहत में दिनांक 06.11.2017 को दायर किया था। इसी मियाद में रेस्पो संख्या 03 की मृत्यु होना तथा यथाशीघ्र जानकारी होते ही कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करना, वास्तविक एक सद्भाविक त्रुटि है। अदालत मातहत इसको स्वीकार करते हुए विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर वाद कम में आगे बढना चाहिए था परन्तु अदालत मातहत द्वारा वारिसान को बिना पक्षकार बनाए ही उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0 दी0 को एक "प्रशासनिक आदेश" की तरह मनमाने पूर्ण तरीके से निर्णित किया जो विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के मुकदमा नंबर 141/2017 बउनवान गोपाल वगैरह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2017 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली को इन निर्देशों के साथ मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थीगण के कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र आर्डर 22 रूल 4 पर उचित कार्यवाही करते हुए वाद में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करे। जाकर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 20.03.2023 को मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के समक्ष उपस्थित हो।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 13.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner